न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.)सिवाना
पीठासीन अधिकारी श्रीमति कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 65 / 2021

वादीः–

श्री बाबा रामदेव मेघवाल समाज सेवा संस्थान पंउ जरीऐ अध्यक्ष मकाराम पुत्र केशाराम जाति मेघवाल निवासी सिणेर तहसील सिवाना जिला बाडमेर राज.

बनाम

प्रतिवादीः–राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

दावा बाबत अधिकार घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती

उपस्थित :–

1. श्री कैलाशपुरी वादी अधिवक्ता
2. प्रतिवादी तहसीलदार सिवाना अनुपस्थित (एकपक्षीय)

–: निर्णय :–

दिनांक – 14.03.2022

वादी द्वारा एक वाद पत्र प्रतिवादी तहसीलदार सिवाना के विरूद्ध इस आशय का पेश किया कि, राजस्व गांव पंऊ तहसील सिवाना की राजस्व सीमा में खेत खसरा संख्या 28रकबा 2.9785 हेक्टयर किस्म गै.मु. मन्दिर अवस्थित हैं। उक्त भूमि में प्राचीन काल से ही बाबा रामदेव जी का मन्दिर बना हुआ है जो सर्वजातिय समाज के इष्ट व आराध्य देवता है। उक्त खसरान की सम्पूर्ण भूमि पर बाबा रामदेव जी का मन्दिर व बगीची तथा हमारे समाज का भवन व तामीरात बने हुये है जिस पर मेघवाल समाज का आधिपत्य है उक्त मन्दिर व बगेची पूर्ण रूप से मेघवाल समाज के रजिस्टर्ड संस्था द्वारा संचालित की जा रही है। तथा वादी मकाराम बतौर रजिस्टर्ड संस्था के अध्यक्ष की हैसियत से उक्त वादपत्र प्रस्तुत किया गया है। मेघवाल समाज के बाबा रामदेव मन्दिर का रजिस्ट्रेशन क्रमांक 405 /बाडमेर /2010–11 राजस्थान सरकार के रजिस्ट्रार संस्थाएं बाडमेर से रजिस्टर्ड है जिसके प्रमाण पत्र की प्रति साथ पेश है। उक्त खसरान की भूमि पूर्ण रूप से मन्दिर हेतु आरक्षित है जो कार्यालय ग्राम पंचायत पंऊ द्वारा अनापति प्रमाण पत्र जारी कर बाबा रामदेव मन्दिर मेघवाल समाज हेतु दी हुई है तथा मेघवाल समाज के द्वारा ही उक्त मन्दिर परिसर व उक्त खसरान् की सम्पूर्ण भूमि पर समय – समय पर वृक्षारोपण, सार संभाल की जा रही है तथा हमारे समाज के द्वारा निजी खर्च से चारदीवारी निर्मित कर सुरक्षार्थ हेतु बनाई हुई है। उक्त मन्दिर परिसर भूमि मेघवाल समाज के द्वारा ही संचालित की जा रही है। उक्त भूमि श्री बाबा रामदेव मन्दिर सेवा संस्थान की निजी है तथा उसी के बाबत अनापति प्रमाण पत्र जारी कर रखा है हमारे द्वारा बार – बार निवेदन करने के उपरान्त भी हल्का पटवारी द्वारा समाज के नाम की खातेदारी में दर्ज न कर, राजस्थान सरकार के नाम से ही रखी गई है, लेकिन उक्त भूमि आज रोज भी श्री बाबा रामदेव मन्दिर सेवा संस्था के कब्जा की है। मेघवाल समाज के द्वारा समय – समय पर उक्त खसरा की भूमि जो मेघवाल समाज के मन्दिर श्री बाबा रामदेव मेघवाल समाज सेवा संस्थान के नाम से दर्ज करने हेतु तहसीलदार सिवाना को निवेदन किया, लिखित में ज्ञापन प्रस्तुत किया, लेकिन उक्त दुरूस्ती न कर आज भी राजस्थान सरकार गै.मु. [illegible]र के नाम से दर्ज है, जिसको दुरूस्त करवाने हेतु उक्त वाद पत्र बाबत अधिकार घोषणा [illegible] दुरूस्ती के प्रस्तुत किया है। उक्त वाद पत्र बाद रिपोर्ट राजस्व मूल वाद में दर्ज किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सिवाना को जरिये समन तलब किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.04.09 13:51:59 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार सिवाना द्वारा अपने लिखित जबाव मय सकुर्लर पेश कर निवेदन किया कि उक्त वाद पत्र काबिल दुरूस्ती योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। वाद पत्र व जबाव के कथनो के आधार पर तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य ली गई।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

वादी साक्ष्य में वादी स्वयं पी डब्ल्यू 1 मकाराम, पी डब्लयू 2 टीकमाराम, पी डब्ल्यू 3 मांगाराम उपस्थित आये, लेकिन प्रतिवादी उपस्थित नहीं होने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

वादी साक्ष्य पी डब्ल्यू 1 मकाराम ने उपस्थित होकर वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये दस्तावेजात् जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 प्रदर्श 1, ज्ञापन प्रदर्श 2, मेघवाल समाज का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदर्श 3, ग्राम पंचायत पंऊ द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदर्श 4, बाबा रामदेव मन्दिर मेघवाल समाज का विद्युत उपभोक्ता प्रति प्रदर्श 5, प्रदर्शित करवाये।

प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय होने से वादी की साक्ष्य से किसी प्रकार की जिरह नहीं की गई व प्रतिवादी साक्ष्य बन्द की गई।

बहस वादी सुनी गई, दौराने बहस वादी अधिवक्ता ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये वादी का वाद स्वीकार कर खसरा संख्या 28 सरहद पंऊ किस्म गै.मु. मन्दिर की भूमि बाबा रामदेव मेघवाल समाज के नाम से घोषित किया जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व मनन किया तथा सम्बन्धित विधि का अध्ययन किया गया, वादी ने अपनी सक्षम साक्ष्य से तनकी संख्या 1 को साबित किया है तथा वादग्रस्त खसरा में वादी के आराध्य देवता श्री बाबा रामदेव जी का मन्दिर बना हुआ है तथा वादी के समाज का भवन भी बना हुआ है जहां पर केवल मात्र मेघवाल समाज के द्वारा ही मन्दिर का रखरखाव व सेवा पूजा – अर्चना की जाती है तथा वर्तमान में मेघवाल समाज का कब्जा है। लिहाजा तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष मे निर्णित की जाती है। तनकी संख्या 2 प्रतिवादी के जिम्मे थी, जिसके सम्बन्ध में प्रतिवादी ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की, अतः तनकी संख्या 2 प्रतिवादी के विरूद्ध तय की जाती है।

अतः तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में तय किये जाने से वादी का वाद स्वीकार किया कर सरहद मौजा पंऊ पटवार मण्डल पंऊ के खसरा संख्या 28 रकबा 2.9785 हैक्टेयर किस्म(बाबा रामदेव मेघवाल समाज सेवा संस्थान पंऊ गै.मु. मन्दिर) के नाम जमाबन्दी में दर्ज करने के आदेश दिये दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करे । डिक्री पर्चा अलग से मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर सिवाना

निर्णय आज दिनांक 14.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.04.09 13:51:59 IST
Reason: SelfAttested

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर सिवाना

डिगरी व मुकद्दमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) मुकाम सिवाना (बाड़मेर) व
इजलास कुसुमलता चौहान आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 65/2021

वादीः–

श्री बाबा रामदेव मेघवाल समाज सेवा संस्थान पंऊ जरीऐ अध्यक्ष मकाराम पुत्र केशाराम जाति मेघवाल निवासी सिणेर तहसील सिवाना जिला बाडमेर राज.

बनाम

प्रतिवादीः–राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

<u>दावा बाबत अधिकार घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती</u>

निर्णय दिनांक : – 14.03.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादीगण व हाजरी श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दई प्रतिवादी अनुपस्थिति में पेश होकर वादी [illegible] स्वीकार किया कर सरहद मौजा पंऊ पटवार मण्डल पंऊ के खसरा संख्या 28 रकबा 2.5785 हैक्टेयर किस्म(बाबा रामदेव मेघवाल समाज सेवा संस्थान पंऊ गै.मु. मन्दिर) के नाम जमाबन्दी में दर्ज करने के आदेश दिये दिये जाते है।तहसीलदार सिवाना माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करे।खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14.03.2022 को जारी की गई।

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर (S.D.O)
सिवाना

दिनांक :- 15.03.22

क्रमांकः वाचक/2022/420
प्रतिलिपि : वास्ते पालनार्थ।
भूमिधारक तहसीलदार, सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.04.09 13:51:59 IST
Reason: SelfAttested

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर (S.D.O)
सिवाना